न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन),इटावा

प्रकीर्ण वाद संख्या–05/2019(सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद सं०–16/17)

CNR NO–UPEW05000023–2019

अतर सिंह बनाम मोनू

07.05.2019

पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 3 ग पर आदेश हेतु पेश हुयी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 3 ग पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3 ग

प्रार्थनापत्र 3 ग आवेदक अतर सिंह की ओर से मूल प्रकीर्ण वाद संख्या–16/2017 अतर सिंह बनाम मोनू की पत्रावली तलब की जाकर आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत मूल प्रकीर्ण वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया था,किन्तु आवेदक की पत्नी बीमार हो गयी,जिससे न्यायशुल्क जमा करने के लिये जमा धनराशि उसकी पत्नी के इलाज में खर्च हो गयी और वह वांछित न्यायशुल्क जमा नहीं कर सका अब उसने न्यायशुल्क का इन्तजाम कर लिया है। याचना की गयी है कि आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

आवेदक अतर सिंह की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली एवं तलवीदा पत्रावली प्रकीर्ण वाद संख्या 16/2017 अतर सिंह बनाम मोनू का अवलोकन किया।

तलवीदा पत्रावली प्रकीर्ण वाद संख्या–16/2017 अतर सिंह बनाम मोनू के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 आवेदक का प्रार्थनापत्र 4 ग स्वीकार करते हुये आवेदक के हक में मृतक स्व०श्याम सुन्दर के इटावा अर्बन कोआपरेटिव बैंक शाखा भरथना, जिला इटावा के खाता संख्या–5480,सम्बन्धित बैंक आख्यानुसार खाता संख्या–05100054800 1 में जमा धनराशि 540726.50 रूपये तथा उस पर देय अद्यतन ब्याज/लाभांश यदि कोई हो,के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वाँछित न्यायशुल्क तथा अण्डरटेकिंग अन्दर 15 दिन दाखिल करने

पर नियमानुसार जारी करने का आदेश पारित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक द्वारा जब निर्धारित समयावधि में स्टाम्प न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया तो पत्रावली दाखिल अभिलेखागार कर दी गयी। आवेदक द्वारा कहा गया है कि कोर्टफीस जमा करने के लिये जमा धनराशि उसकी पत्नी के इलाज में खर्च हो गयी,इस कारण वह कोर्टफीस न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता अब उसने कोर्टफीस का इन्तजाम कर लिया है। कथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थनापत्र 3 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक को प्रकीर्ण वाद संख्या–16/2017 अतर सिंह बनाम मोनू में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.08.2018 के प्रकाश में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नियमानुसार जारी किया जाये।

आवेदक वांछित न्यायशुल्क तथा अण्डरटेकिंग अन्दर 15 दिन दाखिल करना सुनिश्चित करें। नियत समय में वांछित न्यायशुल्क,अण्डरटेकिंग व शपथपत्र दाखिल न किये जाने पर पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

(काशी प्रसाद सिंह यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
इटावा।